कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 367 /सात लाई0–नीति–31/आब0नीति/2012–13/देहरादूनः दिनांकः मई 12 ,2012

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या संख्याः327/XXIII/2012/01(36)/2011देहरादूनः दिनांक 25.04.2012 (वर्ष 2012–13 की आबकारी नीति) एवं आबकारी नीति 2012–13 के बिन्दु संख्या–6 (i) के संशोधन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–354/XXIII/2012/01 (36)/2011 देहरादूनः दिनांक 10.05.2012 में दी गई व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु राज्य के नैनीताल, देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ व मसूरी स्थानों में प्रत्येक में एक–एक एफ0एल0–5बी (भूगृहादि के बाहर उपभोग के लिए मुहरबन्द बोतलों में बियर की फुटकर बिक्री हेतु) दुकानों का व्यवस्थापन किया जाना है, जिसके लिए निम्नानुसार कार्यक्रम निर्धारित किया जाता हैः–

प्रथम चरण

आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि	23.05.2012 समय 5.00 बजे सायं तक।
लाटरी की तिथि	25.05.2012 प्रातः 10.00 बजे से आंवटन की प्रकिया समाप्त होने तक।

द्वितीय चरण

आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि	26.05.2012 समय 2.00 बजे सांय तक।
लाटरी की तिथि	26.05.2012 अपरान्ह 4.00 बजे से आंवटन की प्रकिया समाप्त होने तक।

तृतीय चरण

आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि	27.05.2012 समय 2.00 अपरान्ह तक।
लाटरी की तिथि	27.05.2012 सांय 4.00 बजे से आंवटन की प्रकिया समाप्त होने तक।

आवेदन/व्यवस्थापन से सम्बन्धित प्रकिया एवं शर्ते उत्तराखण्ड शासन की बेबसाईट www.uk.gov.in एवं www.uttrakhandexcise.org से तथा सम्बन्धित जिले के जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं। पृथक से जिला स्तर से अन्य कोई विज्ञप्ति निर्गत नही की जायेगी।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्या 368-380 /सात लाई0–नीति–31/आब0नीति/2012–13/देहरादूनः तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी, देहरादून/नैनीताल/अल्मोडा/पिथौरागढ़।
2. जिला आबकारी अधिकारी, देहरादून/नैनीताल/अल्मोडा/पिथौरागढ़।
3. निदेशक,एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को उत्तराखण्ड शासन की बेबसाईट www.uk.gov.in अपलोड करने का कष्ट करें।
4. सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र, **अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान एवं राष्ट्रीय सहारा** को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को सरकारी दर पर न्यूनतम सम्भव स्पेस में अपने सम्मानित समाचार पत्र में दिनांक 13–05–.2012 के अंक में सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

www.uk.gov.in पर प्रकाशनार्थ

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्याः 357 /सात लाई0–31/आब0नीति 2012–13/देहरादूनःदिनांकःमई 12 ,2012

विज्ञप्ति

आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड

वित्तीय वर्ष 2012–13 (दिनांक 26–05–2012 से 31–03–2013 तक) के लिए एफ0एल0–5बी (भूगृहादि के बाहर उपभोग के लिए मुहरबन्द बोतलों में बियर की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन) के अन्तर्गत बियर की फुटकर बिक्री की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु आवश्यक सूचना

उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या संख्याः327/XXIII /2012/01(36)/2011देहरादूनःदिनांक 25.04.2012 (वर्ष 2012–13 की आबकारी नीति) एवं सहपठित शासनादेश संख्या–354/XXIII/2012/01(36)/2011 देहरादूनः दिनांक 10.05.2012 में दी गई व्यवस्था के अनुसार **वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु राज्य के नैनीताल, देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ व मसूरी स्थानों में प्रत्येक में एक–एक एफ0एल0–5बी (भूगृहादि के बाहर उपभोग के लिए मुहरबन्द बोतलों में बियर की फुटकर बिक्री हेतु)** दुकान के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। **दुकान का अनुज्ञापन शुल्क रूपये 1.00 लाख वार्षिक रहेगा जो कि अग्रिम रूप से जमा किया जायेगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि माह में 3,000 बोतल से अधिक बियर की बिक्री पर रूपये 3.25 प्रति बोतल (रूपये 5.00 प्रति बल्क ली0) की दर से अनुज्ञापन शुल्क अतिरिक्त रूप से जमा किया जायेगा।**

आवेदन पत्र के साथ चरित्र प्रमाण पत्र एवं **स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित** छायाप्रतियॉ तथा वांछित धरोहर राशि (अनुज्ञापन शुल्क का 1/10 भाग के समान धनराशि) के बैंक ड्राफ्ट को अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। इनके संलग्न न होने की दशा में ऐसे आवेदनों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा और ऐसे आवदेनों को प्रथम दृष्टया निरस्त करने का पूर्ण अधिकार लाईसेसिंग प्राधिकारी को होगा।

सफल आवेदक को चयन के एक सप्ताह के भीतर दुकान के अनुज्ञापन शुल्क के 25 प्रतिशत धनराशि के समतुल्य धनराशि का जिलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रारूप जी–39 पर प्रदत्त हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि चयनित आवेदक के नाम अचल सम्पत्ति नहीं है, तो वह अपने परिवार की सम्पत्ति को लाईसेसिंग प्राधिकारी के नाम Mortgage कर हैसियत प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। दुकान हेतु निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क के 1/3 भाग के समतुल्य प्रतिभूति की धनराशि एक सप्ताह में जमा करनी होगी। अनुज्ञापी इस प्रतिभूति की धनराशि में से आधी नकद व आधी बैंक गारन्टी के रूप में भी जमा कर सकता है।

आवेदक को आवेदन पत्र में अपना आयकर विभाग से प्राप्त पैन नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा, परन्तु यदि किसी आवेदक के पास पैन नम्बर नहीं होगा,तो उसे यह शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि,यदि उसके नाम लाटरी में दुकान निकलती है, तो वह दुकान चलाना प्रारम्भ करने से पूर्व आयकर विभाग से पैन नम्बर प्राप्त करने हेतु आवेदन देकर विभाग को सूचित करेगा अन्यथा उसे दिया गया लाईसेन्स निरस्त किया जा सकेगा।

जिस आवेदक के नाम आबकारी की कोई दुकान आवंटित है उन्हें दुकान आवंटित नही की जायेगी।

2...

दुकान जिस तहसील के अन्तर्गत आती हो,उसी **तहसील के स्थायी निवासियों** के आवेदन पत्र सम्बन्धित दुकान हेतु स्वीकार किये जायेंगे। जहां किसी दुकान के लिये एक ही आवेदक हो, उसे दुकान आवंटित की जा सकेगी तथा एक से अधिक आवेदकों की दशा में लाटरी द्वारा आवंटन किया जायेगा। दुकान के व्यवस्थापन हेतु उपरोक्त प्रकिया दो चरणों तक अपनाई जायेगी।

उपरोक्त प्रकिया के अनुसार दो चरणों में यदि दुकान व्यवस्थापित नहीं हो पाती है तो पात्रता की अन्य शर्ते समान रहते हुए जिले का निवासी दुकान हेतु पात्र माना जायेगा। यदि तृतीय चरण के उपरान्त भी दुकान व्यवस्थापित नहीं हो पाती है एवं कोई पात्र व्यक्ति जिलाधिकारी के समक्ष निर्धारित राजस्व पर दुकान लेने के लिये आवेदन करता है, तो ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा दुकान का आवंटन प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्वान्त के अनुसार किया जा सकेगा।

दुकान हेतु आवेदन करने से पूर्व आवेदक यह सुनिश्चित कर ले कि उनके पास शासनादेश शासनादेश संख्याः311/XXIII/2008/18/2008दिनांक 16.06.2008 के अनुसार दुकान संचालित करने हेतु उपयुक्त स्थान हो।

आवेदन पत्र तथा उसके साथ दिये जाने वाले शपथ–पत्र का प्रारूप नीचे दिया जा रहा है जिनकी प्रतियां तथा पात्रता की शर्ते एवं अन्य जानकारियां जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं। निर्धारित प्रारूप मे भरे हुये आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क रूपये 15,000/– (रूपये पन्द्रह हजार मात्र) प्रोसेंसिग फीस जो नॉन रिफेंन्डेंबिल **(Non Refundable)** होगी, को जमा करना होगा। आवेदन पत्र वांछित संलग्नकों सहित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में जमा कराये जा सकते हैं व उनकी प्राप्ति रसीद ली जा सकती है। आवेदन पत्रों के साथ लगाये जाने वाले धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट केवल उत्तराखण्ड राज्य स्थित किसी अनुसूचित बैंक,राज्य सहकारी बैंक,जिला सहकारी बैंक,अरबन को–आपरेटिव बैंक अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों से सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के नाम **दिनांकः 25.04.2012 के बाद के** बने होने चाहिये ।

जिलो में दुकानों की स्थिति, उनका निर्धारित राजस्व एवं अन्य सूचनायें सम्बन्धित जिले के जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। इस सम्बन्ध में सूचना जिलों के जिला आबकारी अधिकारी एवं जिलाधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड तथा वेवसाइट "www.uk.gov.in" एवं "www.uttrakhandexcise.org" पर भी उपलब्ध रहेगी।

दुकानों के आवंटन का कार्यक्रम निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता हैः–

1. **<u>प्रथम चरण</u>**–
   आवेदन पत्र दिनांक 23.05.2012 तक कार्यालय दिवसों में प्रातः 10.00 बजे से सांय 5:00 बजे तक सम्बन्धित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा किये जा सकेंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर दिनांक 25.05.2012 को प्रातः 10:00 बजे से प्रक्रिया समाप्त होने तक जिलाधिकारी के समक्ष दुकान का आवंटन किया जायेगा।
2. **<u>द्वित्तीय चरण</u>** –
   जो दुकान प्रथम चरण में व्यवस्थापित नही हो पायेंगी उसकी सूचना सम्बन्धित जिला कलेक्ट्रेट एवं जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जायेगी। दुकान के व्यवस्थापन हेतु पुनः दिनांक 26.05.2012 सांय 2.00 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे तथा उपरोक्त प्रथम चरण की प्रक्रियानुसार दिनांक 26.05.2012 को अपरान्ह 4.00 बजे से पूरी प्रक्रिया समाप्त होने तक सम्बन्धित दुकान का आवंटन किया जायेगा।
3. **<u>तृतीय चरण</u>**–
   जो दुकान द्वितीय चरण के आवंटन मे भी आवंटित नही हो पायेगी उसके व्यवस्थापन हेतु दिनांक 27.05.2012 को अपरान्ह 2.00 बजे तक सम्बन्धित जिला आवेदकों से आवेदन पत्र

3-...

आमंत्रित किये जायेंगे एवं प्रथम चरण मे वर्णित प्रक्रिया के अनुसार दिनांक 27.05.2012 को सांय 4.00 बजे से प्रक्रिया समाप्त होने तक आवंटन किया जायेगा।

यदि तृतीय चरण के उपरान्त भी दुकान व्यवस्थापित नहीं हो पाती है एवं कोई पात्र व्यक्ति जिलाधिकारी के समक्ष निर्धारित राजस्व पर दुकान लेने के लिये आवेदन करता है, ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा दुकान का आवंटन प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्वान्त के अनुसार किया जा सकेगा। दुकानों के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में किसी भी विवाद की स्थिति में आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड का निर्णय अन्तिम होगा।

विस्तृत जानकारी के लिये कृपया शासन की अधिसूचना **संख्याः 327/XXIII/2012/01(36)/2011देहरादूनः दिनांक 25.04.2012** एवं **शासनादेश संख्या–354/XXIII/2012/01(36)/2011 देहरादूनः दिनांक 10.05.2012** का सन्दर्भ लें। समस्त सूचनायें उत्तराखण्ड शासन की वेबसाईट www.uk.gov.in एवं www.uttrakhandexcise.org पर भी उपलब्ध रहेंगी।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्या 358-366 /सातलाई0–नीति–31/आब0नीति/2012–13/देहरादूनःतद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी, देहरादून/नैनीताल/अल्मोडा/पिथौरागढ़।
2. जिला आबकारी अधिकारी, देहरादून/नैनीताल/अल्मोडा/पिथौरागढ़।
3. निदेशक,एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर,उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को उत्तराखण्ड शासन की बेबसाईट www.uk.gov.in अपलोड करने का कष्ट करें।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

वित्तीय वर्ष 2012–13 (26–05–2012 से 31–03–2013 तक) अवधि के लिए एफ0एल0–5बी (बियर) के फुटकर बिक्री लाईसेंस हेतु आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ–पत्र का प्ररूप

आवेदक का नोटरी से प्रमाणित नवीनतम फोटोग्राफ

मैं.....पुत्र / पुत्री / पत्नी / .....आयु.....वर्ष.....

पता वर्तमान निवास

मकान नम्बर.....नगर / मौहल्ला / ग्राम / तोक.....

थाना / पटवारी पट्टी.....तहसील / उपतहसील.....

....जिला.....

पता स्थाई निवास

मकान नम्बर.....नगर / मौहल्ला / ग्राम / तोक.....

थाना / पटवारी पट्टी.....तहसील / उप तहसील.....जिला.....

.....शपथ पूर्वक अभिकथन करता / करती हूँ कि:–

1. यह कि शपथकर्ता ने एफ0एल0–5बी (बियर) की फुटकर बिक्री की दुकान..... .....थाना.....तहसील.....जिला.....के लाईसेंस वर्ष 2012–13 हेतु आवेदन पत्र दिया है।
2. यह कि शपथकर्ता के पास प्रारूप एफ0एल0–5बी में बीयर की दुकान चलाने हेतु शासनादेश संख्या:311/XXIII/ 2008/18/2008 दिनांक 16.06.2008 के अनुसार स्थान उपलब्ध है।
3. यह कि शपथकर्ता ने लाईसेंस की शर्तो और प्रतिबन्धों को पूरी तरह से समझ लिया है और यदि आवेदित दुकान उसे आवंटित हो जाती है तो वह नियमों, लाईसेंस की शर्तो और लाईसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले अन्य निर्देशों का पालन करेगा / करेगी।

2.....

4. यह कि शपथकर्ता भारत का नागरिक है एवं उत्तराखण्ड का **स्थाई निवासी** है। आवेदक की तहसील................................ जिला .... का **स्थाई निवासी** है।
5. यह कि शपथकर्ता की आयु 21 वर्ष से अधिक है।
6. यह कि शपथकर्ता न तो सरकारी अथवा लोक देयों का बकायेदार है, न ही उसका नाम कालीसूची में है और न ही उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 (उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं अनुकूलित) के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत उसे आबकारी लाईसेंस धारण करने से विवर्जित किया गया है।
7. यह कि शपथकर्ता व उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उसे/उन्हें उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 (उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं अनुकूलित) अथवा स्वापक एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 अथवा तत्समय लागू किसी अन्य विधि अथवा संज्ञेय और गैर जमानती अपराध में दोषी नही पाया गया है।
8. यह कि शपथकर्ता द्वारा हैसियत प्रमाण–पत्र (विज्ञापन में दी गयी शर्तों के अनुसार) चरित्र प्रमाण पत्र एवं **स्थाई निवास प्रमाण पत्र** की प्रमाणित छाया प्रतियां आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।
9. यह कि शपथकर्ता के पास समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली 1968 (उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं अनुकूलित) के प्राविधानों एवं आबकारी आयुक्त द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार दुकान खोलने के लिये उपयुक्त परिसर है/किराये पर उपयुक्त परिसर लेने की व्यवस्था है (जो लागू न हो उसे काट दिया जाय) प्रस्तावित परिसर किसी विधि या नियमों के प्रतिकूल नहीं बनाया गया है एवं रोड़ साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट के प्राविधानों के अनुरूप है।
10. यह कि शपथकर्ता किसी ऐसे विक्रेता अथवा प्रतिनिधि जिसकी अपराधिक पृष्ठभूमि हो अथवा जो संक्रामक या छूत की बीमारी से ग्रस्त हो अथवा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो को नियुक्त नहीं करेगा।
11. यह कि शपथकर्ता दुकान आवंटन के बाद पावर आफ अटार्नी के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति को दुकान संचालित करने हेतु अधिकृत नहीं करेगा।

12. यह कि शपथकर्ता अनुज्ञापन की वैधता अवधि के दौरान अनुज्ञापन का किसी अन्य के पक्ष में अन्तरण नहीं करेगा।

13. यह कि शपथकर्ता को आयकर विभाग द्वारा पैन संख्या..... आवंटित की गयी है।

यदि उसके नाम दुकान निकलती है तो वह दुकान चलाना प्रारम्भ करने से पूर्व आयकर विभाग से पैन संख्या प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा एवं आवेदन का प्रमाण विभाग को प्रस्तुत करेगा। उनके द्वारा ऐसा न करने पर उसे दिया गया लाईसेंस निरस्त किया जा सकेगा।

(जो लागू न हो, काट दिया जाये)

14. यह कि प्रस्तर–1 से 12 तक की विषय वस्तु मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और किसी तथ्य को छिपाया या दबाया नहीं गया है।

स्थान.....

दिनांक.....समय.....

शपथकर्ता

पब्लिक नोटेरी का नाम और मोहर

स्थान.....दिनांक .....

आवेदन पत्र का प्रारूप

बियर की (भू गृहादि के बाहर उपभोग के लिए मुहरबन्द बोतलों में) फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन विदेशी मदिरा–5बी हेतु आवेदन पत्र।

(दुकान जिस तहसील के अन्तर्गत आती हो,उसी तहसील (तृतीय चरण में सम्पूर्ण जनपद) के स्थायी निवासियों के आवेदन पत्र सम्बन्धित दुकान हेतु स्वीकार किये जायेंगे।)

पंजीयन संख्या..... आबकारी वर्ष 2012–13

(कार्यालय द्वारा भरा जाये) (26–05–2012 से 31–03–2013 तक)

निम्न विवरण आवेदक द्वारा स्वयं भरे जायें:–

1. आवेदित दुकान का विवरण

(i) जिले का नाम.....

(ii) दुकान का नाम.....

(iii) दुकान का प्रकार.....

(iv) स्थान का विवरण जहां दुकान संचालित की जायेगी.....

(v) (26–05–2012 से 31–03–2013 तक) अनुज्ञापन शुल्क रूपये

(अंको में) .....(शब्दों में) .....

(vi) धरोहर धनराशि रू0 (अंको में).....(शब्दो में).....

(vii) प्रतिभूति धनराशि रूपये (अंको में).....(शब्दो में).....

2. आवेदक का नाम.....
3. पिता/पति का नाम.....
4. आयु.....
5. लिंग–पुरूष/महिला.....
6. स्थायी पता.....
7. पैन नम्बर (यदि आवंटित है).....

2.....

मकान नम्बर..... नगर / मौहल्ला / ग्राम / तोक..... थाना / पटवारी पट्टी..... तहसील / उप तहसील..... जिला .....उत्तराखण्ड। दूरभाष (लैन्ड लाईन नम्बर)..... मोबाईल नम्बर.....	आवेदक का नवीनतम प्रमाणित फोटोग्राम

8. जमा धरोहर धनराशि का विवरण (उत्तराखण्ड राज्य स्थित किसी अनुसूचित बैंक, राज्य सहकारी बैंक,जिला सहकारी बैंक, अरबन को–आपरेटिव बैंक अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों से सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के नाम दिनांक **25—04—2012** के बाद के बने बैंक ड्राफ्ट ही स्वीकार किये जायेंगे।)

(अ) बैंक ड्राफ्ट संख्या व दिनांक .....

(ब) बैंक का नाम.....

(स) बैंक ड्राफ्ट की राशि.....

आवेदक की घोषणा

मैं .....पुत्र / पत्नी / पुत्री.....घोषणा करता / करती है कि उपरोक्त बिन्दु 1 से 8 में दिया गया विवरण मेरी जानकारी में पूर्णतः सही है। मेरे पास स्थान .....(जिस हेतु आवेदन किया गया है) में शासनादेश संख्या:311/XXIII/ 2008/18/2008 दिनांक 16.06.2008 के अनुसार आबकारी की दुकान संचालन हेतु उपयुक्त स्थान है। यदि उपरोक्त विवरण असत्य या गलत पाया जाये तो मेरा प्रार्थना पत्र निरस्त करने योग्य होगा व धरोहर धनराशि जब्त करने योग्य होगी। यदि उपरोक्त विवरण अनुज्ञापन जारी करने के उपरान्त असत्य या गलत पाया जाता है तो मेरा अनुज्ञापन निरस्त करने योग्य होगा और साथ ही मेरी लाईसेंस फीस एवं प्रतिभूति की धनराशि भी जब्त करने योग्य होगी। मैं इस तथ्य से भिज्ञ हूँ / है कि असत्य या गलत विवरण देना दण्डनीय अपराध है।

स्थान.....दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान (सतिथि)

आवेदक की प्रास्थिति

.....

(प्रार्थना पत्र प्राप्ति रसीद)

श्री / श्रीमती / कुमारी.....पुत्र / पत्नी / पुत्री.....

निवासी.....एफ0एल0–5बी (बियर) की फुटकर दुकान.....हेतु प्रार्थना पत्र धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट, शपथ पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र एवं **स्थायी निवास प्रमाण पत्र** के साथ प्राप्त किया गया, जिसे **रजिस्टर के कमांक.....पर दर्ज** किया गया।

दिनांक.....

कार्यालय सील

जिला आबकारी अधिकारी द्वारा

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

समय.....

संख्याः 311 /XXIII/2008/18/2008

प्रेषक,

डॉ0 रणबीर सिंह,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. आबकारी आयुक्त,
   उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मण्डलायुक्त गढ़वाल, पौड़ी/कुमांयू, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।

आबकारी अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 16 जून, 2008

विषय :- **प्रदेश में मदिरा की फुटकर दुकानों की स्थिति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड के प्रस्ताव दिनांकः 04.06.2008 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली 1968 के नियम 5(4) के सन्दर्भ में सार्वजनिक समागम के स्थान, स्कूल, अस्पताल, पूज्य स्थान, फैक्ट्री, आवासीय कालोनी, बाजार, एवं निकट शब्दों/शब्दावलियों से आशय स्पष्ट न होने के कारण दुकानों के व्यवस्थापन हेतु स्थान निर्धारण किये जाने में कठिनाईयां सामने आ रही हैं। अतः यह आवश्यक हो गया है कि इन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाये। एतद्द्वारा सम्यक विचारोपरान्त इन्हें निम्नवत् परिभाषित किया जाता हैः-

1. **"सार्वजनिक समागम के स्थान"**- से तात्पर्य किसी स्थानीय निकाय द्वारा प्रबन्धित किसी ऐसी पार्क/ग्राउण्ड से है जिसे सार्वजनिक समागम के कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

2. **"स्कूल"**- से तात्पर्य किसी स्थानीय प्राधिकरण या राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त या प्रबन्धित या मान्यता प्राप्त किसी पूर्व प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, मिडिल स्कूल, हाईस्कूल और इण्टर कॉलेज या विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या उसके द्वारा स्थापित या किसी प्रबन्धित महाविद्यालय से है।

3. **"अस्पताल"**- से तात्पर्य ऐसे किसी अस्पताल से है, जो कि किसी स्थानीय प्राधिकरण या राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रबन्धित या स्वामित्व प्राप्त अथवा निजी प्रबन्धाधीन हो जिसके अन्तर्गत कम से कम 20 (बीस) शैय्याओं की व्यवस्थायें हों और जो शहरी या ग्रामीण निकाय द्वारा रजिस्ट्रीकृत हो।

क्रमशः.....2

4. **"पूज्य स्थान"**- से तात्पर्य ऐसे किसी सार्वजनिक मन्दिर, मठ, मस्जिद, गुरूद्वारा, गिरिजाघर से है, जो पूर्ण और धार्मिक न्यास अधिनियम, 1920 के अधीन या पूर्व विन्यास अधिनियम, 1890 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सार्वजनिक न्यास द्वारा या सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1960 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या वक्फ बोर्ड या सक्षम प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकृत किसी गुरूद्वारा यथास्थिति स्थापित या प्रबन्धित या स्वामित्व प्राप्त हो और ऐसे अन्य सार्वजनिक पूजा स्थलों से है, जैसे कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त समय-समय पर विनिर्दिष्ट करें।

5. **"फैक्ट्री"**- से तात्पर्य किसी ऐसी औद्योगिक इकाई से होगा जो इण्डस्ट्रीज विभाग में रजिस्टर्ड हो एवं जिसमें कम से कम 200 कर्मचारी कार्यरत हों।

6. **"आवासीय कालोनी"**- से तात्पर्य ऐसी कालोनी से होगा जो बाजार से हटकर हो एवं जिसके प्रवेश के लिए निश्चित प्रवेश मार्ग हो।

7. **"बाजार"**- से तात्पर्य दुकानों के किसी ऐसे समूह से है जो एक सम्मिलित चारदीवारी से घिरा हो तथा जिसका एक निश्चित प्रवेश मार्ग हो। दुकानों का ऐसा समूह जो चारदीवारी से न घिरा हो और जिसमें अलग-अलग फैली दुकानें बनी हों एवं जिसका निश्चित प्रवेश मार्ग न हो बाजार की श्रेणी में नहीं माना जायेगा।

8. **"निकट"**- से तात्पर्य किसी सार्वजनिक समागम स्थान, स्कूल, अस्पताल, पूज्य स्थान या फैक्ट्री या किसी बाजार अथवा आवासीय कालोनी के प्रवेश मार्ग से पहुंच मार्ग द्वारा 100 मीटर या उससे कम की दूरी से है। निर्दिष्ट दूरी की माप, मदिरा की दुकान या उप दुकान के प्रवेश द्वार के मध्य बिन्दु से सामान्यतः पथिक द्वारा निकटस्थ पहुँच मार्ग से ऐसे सार्वजनिक पूजा स्थल या ऐसे विद्यालय या ऐसे चिकित्सालय या ऐसी आवासीय कालोनी के निकटस्थ प्रवेश द्वार के मध्य तक की जायेगी।

कृपया उक्तानुसार मदिरा की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन का कड़ाई अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(डॉ0 रणवीर सिंह)

सचिव।